

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-30012024-251639  
SG-DL-E-30012024-251639असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024 /माघ 9, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 407
No. 37]	DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945	[N. C. T. D. No. 407

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जनवरी, 2024

फा.सं.1(147)/एएचडी/स्था0/भर्ती नियम निदेशक/2021/153—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68—डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जहां तक वे निदेशक (पशुपालन) के पद से संबंधित हैं, उन समस्त पूर्ववर्ती भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत विकास विभाग की पशुपालन इकाई में निदेशक (पशुपालन) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्—

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—

(क) इन नियमों को निदेशक (पशुपालन), पशुपालन इकाई, विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

(ख) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

## 2. अनुप्रयोग :— ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. अयोग्यता :- वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
  - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
7. बचाव :- इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

1. पदनाम	निदेशक (पशुपालन)	
2. पदों की संख्या	01* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	
3. वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह-‘क’	
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर-12 (रुपये 78800-209200/-) + प्रैक्टिसबंदी भत्ता	
5. क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	चयन पद	
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं	
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं	
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं	
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	लागू नहीं	
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पद्धति	प्रतिशत
	पदोन्नति	100

11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	<p><b>पदोन्नति:—</b> नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन स्तर-11 (रुपये 67700-208700/-) तथा एनपीए में उप-निदेशक (पशुपालन)।</p> <p><b>टीप :-</b> जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	<p><b>विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य</li> <li>3. विभाग के प्रशासनिक सचिव — सदस्य</li> </ol>
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

**टीप :-** दिनांक 8 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं० फा० 54(48)/02/वि०मुख्या०/पार्ट फाइल/2287 को इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् निरस्त कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राम प्रसाद मीणा, विशेष विकास आयुक्त

## DEVELOPMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 23rd January, 2024

**F. No. 1(147)/AHD/Esstt./RR Dir./2021/153.** —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.24/78/68-DH(S) dated 24<sup>th</sup> September, 1968 and in supersession of all previous RRs in so far as they relate to the post of the Director (Animal Husbandry), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Animal Husbandry) in Animal Husbandry Unit of Development Department under the Government of National Capital Territory of Delhi, as following, namely:-

**1. Short title and commencement –**

(a) These rules may be called the Animal Husbandry Unit of Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi, Director (Animal Husbandry), Recruitment Rules, 2023.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application -** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of post, classification and pay level in pay matrix -** The number of post, its classification and the level in the pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

**5. Disqualification -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government of National Capital Territory of Delhi may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

1. Name of Post	Director (Animal Husbandry)	
2. No. of Posts	01 * (2023) *subject to variation dependent on workload	
3. Classification	General Central Service Non-Ministerial                      Gazetted Group, A	
4. Pay Level in the Pay Matrix	Level - 12 (Rs. 78800-209200) + Non Practicing Allowance	
5. Whether Selection Post / Non-Selection Post	Selection Post	
6. Age Limits for Direct Recruits	Not Applicable	
7. Educational and other Qualifications required for direct recruits	Not Applicable	
8. Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of the promotees.	Age: NA Edu. Qual. : NA	
9. Period of Probations, if any	Not Applicable	
10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of vacancies to be filled by various methods.	Method	Percentage
	Promotion	100
11. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	<b>Promotion :</b>  Deputy Director (Animal Husbandry) in the Pay Level-11 (Rs. 67700-208700) + NPA with 05 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.  <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<b>Departmental Promotion Committee (for considering Promotion):</b>	

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chairman / Member Union Public Service Commission – <b>Chairman</b></li><li>2. Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi – <b>Member</b></li><li>3. Administrative Secretary of the department – <b>Member</b></li></ol>
<b>13.</b> Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

**Note:** The notification No.F.54(48)/02/Dev.HQ/Pt.File/2287 dated 8<sup>th</sup> January, 2013 shall be superseded after issue of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,  
RAM PRASAD MEENA, Special Development Commissioner